

C-10/21
12/9/21

24/4/21/10/10
14/9/2021

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस

14 सितम्बर, 2021

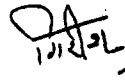
14 सितम्बर, 2021 "हिन्दी दिवस" के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

राजभाषा हिन्दी हमारी मातृभाषा होने के साथ-साथ भारत की स्वतंत्र अस्मिता और संस्कृति की प्रतीक भी है। समाज में चेतना जागरण का भाव अपनी संस्कृति का ज्ञान हिन्दी भाषा के माध्यम से ही दिया जा सकता है, इस संदर्भ में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले हिन्दी दिवस का विशेष महत्व है। आजादी के बाद से हिन्दी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी हमारी पहचान है।

राजभाषा हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग के संबंध में किए गए संवैधानिक प्रावधानों और इस हेतु बनाए गए अधिनियमों, नियमों और समय-समय पर कार्यालय में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के प्रति समर्पित रहना चाहिए।

यह वर्ष का विषय है कि विगत वर्षों में जिला न्यायालय, दिल्ली के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

आइए, हिन्दी दिवस 2021 के इस पावन अवसर पर हम राजभाषा और जनभाषा, दोनों रूपों में, हिन्दी के विकास और प्रयोग के प्रति अपने आपको समर्पित करें और अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।


13.9.21

गिरिश कठपालिया

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)

दिल्ली

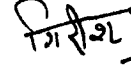
रा.नं. 55/2021

संख्या 24561-761/हिन्दी/केन्द्रीय/238/2021

दिल्ली, दिनांक 13/09/21

पत्र की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवम कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली, राजज एकेन्यू, नई दिल्ली (इस अनुरोध सहित कि इस संदेश को आप अपने संबद्ध न्यायिक जिलों में परिचालित करवाएँ)।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, (केन्द्रीय जिला), तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. श्री राज कुमार चौहान, जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) दक्षिण-पूर्व/अध्यक्ष केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) नई दिल्ली/सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार, (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) उत्तर-पश्चिम/सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री हेम राज, (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) केन्द्रीय/सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली।
4. कार्यालय प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. देखरेख अधिकारी, केन्द्रीय जिला तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
7. आहरण एवं संप्रतिरण अधिकारी/लेखा अधिकारी केन्द्रीय जिला दिल्ली।
8. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली।
9. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
10. संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स इस निर्देश के साथ कि इसे वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड (Upload) करें।


13.9.21
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
दिल्ली